

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी

उदाराम


किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

बनाम

वादीगण

उमाराम

मुकदमा नं. 71 / 2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
07.1.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वर्ष 2020 से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रही थी। प्रतिवादीगण की तलबी बाबत वकील वादी को गत तारीख पेशी दिनांक 24.10.2024 को हिदायत के साथ अंवर दिया गया था कि आगामी तारीख पेशी तक तामील पेश नहीं होने पर प्रकरण सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने पर प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया जावेगा।</p> <p>वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः वकील वादी का वाद 88, 53 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	